



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16112021-231184
CG-DL-E-16112021-231184

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4397]
No. 4397]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 16, 2021/कार्तिक 25, 1943
NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 16, 2021/KARTIKA 25, 1943

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 नवम्बर, 2021

का.आ. 4763(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 (1992 का 19) की धारा 4 उपधारा (1) के साथ पठित धारा (3) की उपधारा (1) और उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री कर्सी केखुशरो देबू को उनके द्वारा पद धारण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का सदस्य नामनिर्दिष्ट करती है।

[फा. सं. एनसीएम-11011/3/2021-पीपी-एमओएमए]

निगार फ़ातिमा हुसैन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th November, 2021

S.O. 4763(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 3 read with sub-section (1) of section 4 of the National Commission for Minorities Act, 1992 (19 of 1992), the Central Government hereby nominates Shri Kersi Kaikhushroo Deboo as Member of the National Commission for Minorities for a period of three years with effect from the date of his assumption of office.

[F. No. NCM-11011/3/2021- PP-MoMA]

NIGAR FATIMA HUSAIN, Jt. Secy.